न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 184/19 निर्णय दिनांकः– 18–02–2020
(आरसीएमएस सख्या 2019/00365)

1. लालचन्द पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. भगवानाराम पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी चक 8 एसएसएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 28–07–2016
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री चन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 28–07–2016 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चक 8 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 27/45 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 18–02–1995 को किया गया। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् दिनांक 24–11–1995 को 35 प्रतिशत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राशि जरिये चालान संख्या 374620/23 राशि 1,53,002 रूपये खजानाराज में जमा करवा दिये गये। उक्त स्थिति के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24–11–1999 को अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई जोकि दिनांक 23–11–2017 को स्वीकार कर ली गई तथा अदालत मातहत को निर्देशित किया गया कि वे अपीलांट से बकाया राशि जमा करवाते हुए आवंटन को बहाल किया जावे। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने आवंटन को बहाल करने की इस्तदुआ की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को अवगत कराया गया कि उक्त भूमि दिनांक 28–07–2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की जा चुकी है। ऐसीस्थिति में अब यह भूमि आवंटित नहीं की जा सकती।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट को आवंटित भूमि थी ऐसी स्थिति में पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जाँच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर जिला कलेक्टर की उक्त टिप्पणी पर की उक्त भूमि अन्य को पूर्व में आवंटित नहीं है के आधार पर वादगत् भूमि का आंवटन बतौर विशेष आवंटन में रेस्पोडेन्ट को कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे अन्यथा अपीलांट को उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन विशेष आवंटन के तहत दिनांक 28–07–2016 को किया गया है। वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित हो चुकी थी ऐसी स्थिति में अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी।

अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित रकबा विवादित एवं पूर्व में अन्य किसी को आवंटित नहीं हैं। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को उक्त तीनों शर्तो की पूर्ति किये जाने के फलस्वरूप ही वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को वादगत् भूमि चक 8 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 27/45 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 18—02—1995 को किया गया। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् दिनांक 24—11—1995 को 35 प्रतिशत राशि जरिये चालान संख्या 374620/23 राशि 1,53,002 रूपये खजानाराज में जमा करवा दिये गये।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवंटन किये जाने के उपरान्त वादगत् भूमि हेतु निर्धारित राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त आवंटन पट्टा अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त स्थिति के बाद अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज कर दिया गया।

(3) अपीलांट द्वारा उक्त खारिजी आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील दिनांक 23—11—2017 को स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलांट से बकाया राशि जमा करवाते हुए अपीलांट का आवंटन के आवंटन को बहाल किया जावे। इसी अवधि के

दौरान अपीलांट को आवंटित आराजी जैर का आवंटन अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 28—07—2017 को कर दिया गया।

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् आराजी गजट में प्रकाशित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को आवंटित हो चुकी है व पूर्व में उक्त भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट को आवंटित की जा चुकी है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व वर्तमान में वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण उक्त आराजी अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज नहीं किया गया है व अपीलांट की पात्रता भूमिहीन श्रेणी की आज दिनांक को भी कायम है। अतः अपीलांट उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या 1 से 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर रेस्पोडेन्ट का आवंटन दिनांक 28—07—2016 बहाल रखा जाता है व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को समान श्रेणी की भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 18—02—2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 11:20:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: